महत्वपूर्ण एवं खास

रायगढ स्टेशन में टिकट चेकिंग अभियान से 111035 रूपये बतौर जुर्माना वसूले गए

» 97 अनियमित टिकिट,76 बिना टिकिट, 155 बिना बुक के लगेज के मामले हुए दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। टिकट लेकर यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर लगातार टिकट चेकिंग अभियान मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। 27 जुलाई को वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक(समन्वय) पुलकित सिंघल के मार्गदर्शन में तथा सहायक वाणिज्य प्रबंधक के.सी.स्वाइन के नेतृत्व में रायगढ स्टेशन में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, सीटीआई टीटीई एवं स्टाफ भी शामिल थे। इस दौरान अनियमित रूप से यात्रा करते हुए पाये गये यात्रियों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की गई।

सारंगढ़ में सट्टा-पट्टी लिखते युवक पकड़ाया, घरघोड़ा में खुडखुडिया पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ स्टाफ द्वारा दिनांक 29.07.2019 को ग्राम गोड़म में मुखबिर सूचना मिलने पर ग्राम गुड़ेली बुढा तालाब जाकर सुनील कुमार टंडन स/ह मोहनलाल टण्ड़न उम्र 28 वर्ष निवासी ठाकुरपाली को सट्टा पट्टी लिखते पकड़े। सुनील के पास एक सफेद कागज में लिखा सट्टा पट्टी जिसमें विभिन्न अंक लिखा हुआ तथा एक डाट पेन व नगदी रकम 4680 रूपये जप्त किया गया है। आरोपी पर 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है। थाना घरघोडा में पदस्थ प्र.आर. मनोज मरावी व हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम नवागढ में रथ यात्रा दौरान रोड किनारे छोटे झाडी के जंगल में जुआडी संतोष राठिया पिता भक्तु राम राठिया उम्र 24 वर्ष साकिन कया थाना घरघोडा को खुडखुडिया गोटी- पट्टी से जुआ खेलाते पकडे। जुआडी के पास एवं फड से कुल 990 /- रूपये जप्त किया गया है। आरोपी पर 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

शिशु मंदिर लक्ष्मीपुर में चला पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरूकता अभियान

न्याय साक्षी/रायगढ़। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू.) डॉ0 राजेंद्र प्रसाद भैया व पुलिस महिला रक्षा टीम के सदस्य सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय लक्ष्मीपुर पहुंचे। विद्यालय के हॉल में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक गण को संबोधित करते हुए डॉ0 राजेंद्र प्रसाद भैया द्वारा पास्को एक्ट एवं वर्तमान समय में महिलाओं एवं बच्चों पर घटित अपराध की जानकारियां एवं उनसे बचाव के तरीके बताए गए। उपस्थित छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों की जानकारी देते हुए डॉ0 भैया ने बताया कि वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए असामाजिक तत्व महिला एवं बच्चों को मैसेज व अभद्र तस्वीरें ,वीडियो भेज कर परेशान करते हैं।

इससे बचने के लिए अनजान व्यक्तियों को अनफ्रेंड करें। डॉ. भैया ने बताया कि अपने परिजनों को भी साइबर अपराध से जुड़े एटीएम फ्रॉड, इनामी लॉटरी के झांसे में न आने की सलाह देवें। डॉ0 भैया ने बच्चों को देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए कानून का पालन करना एवं उसकी जानकारी रखना आवश्यक है बताए। जागरूकता कार्यक्रम में शार्ट वीडियो फिल्म के जरिए जागरूक वीडियो छात्रों को दिखाया गय साथ ही महिला रक्षा टीम के सदस्यों ने सेल्फ डिफेंस एवं आपातकालीन नंबर डायल 100, 112 आदि के विषय में बताया , तथा गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देते हुए अवांछित क्रियाकलापों की शिकायत पालकों, शिक्षकों एवं पुलिस में करने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र-छात्राएं एवं शिक्षकगण तथा पुलिस महिला रक्षा टीम के सदस्य उपस्थित थे।

तमनार ब्लॉक में आबकारी की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासन के निर्देश पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने आबकारी विभाग को अवैध शराब बिक्री, निर्माण और तस्करी पर कड़ाई से रोकथाम लगाने कहा है। विभाग के सहायक आयुक्त दिनकर वासनिक ने जिला अधिकारियों आई.बी. मारकण्डे और रमेश कुमार अग्रवाल को योजनाबद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया है।

रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के खाल्हेपारा, करमागढ़ और महलोई गांवो में भारी मात्रा में शराब बनाकर बेचने और स्मगलिंग की सूचना पर उप निरीक्षक अनिल बंजारे ने छापामार कार्यवाही की। करमागढ़ के दिलीप बेहरा को 4 लीटर शराब ग्राहको को बेचते हुए पकड़ा गया। तमनार के पुरूषोत्तम साहू को शराब बनाते हुये पाया गया, उसके पास 04 बोरियों में रखा 40 किलो लाहन और शराब बनाने के झांझी-झोंकनी बरामद किया गया। खाल्हे पारा में पार्वती साहू को 02 लीटर शराब और सुखवंतिन साहू के घर से 03 लीटर शराब और 20 किलो लाहन जप्त किया गया।

छापे के दौरान मुखबिर ने सूचना दी की ग्राम महलोई जंगल में बरसाती नाला किनारे कुछ लोग भट्ठी में बड़ी तादाद में शराब बना रहे है। इस पर आबकारी टीम ने तुरंत छापा मारा, मौके पर चढ़ी भट्ठी और एक बड़े प्लास्टिक डिब्बे में भरा 15 लीटर शराब जप्त किया गया, शराब बना रहे आरोपी दबिश की आशंका से भागकर जंगल में छुप गये। आरोपियों पर धारा 34(1) और (2) के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर एक से तीन साल की जेल और पच्चीस हजार से एक लाख रूपये दण्ड का नियम है।

दिव्यऊर्जा क्लब ने विश्व हेपटाइटिस दिवस मनाया, साथ ही वृक्षारोपण में दी भागीदारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में 28 जुलाई 2019 को लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा रागगढ़ की डि चेयरपर्सन लायनेस हेमा टोंडर जी द्वारा ह्व.श्च.ह्य.ष्.रामभांठा हॉस्पीटल में अध्यक्ष लायनेस मीरा पासवान की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हिपाटाईटस के प्रति जागरुक किया गया। उपस्थित सभी सम्मानीये डॉक्टरों (डॉ टि. के. टोण्डर, डॉ0 भानुपटेल,डॉ0 काकोली पटनायक, डॉ कल्याणी पटेल, डॉ0 राकेश वर्मा) ने हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ0टोण्डर द्वारा बिमारी से बचने के उपायों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में मितानिन महिला, आरोग्य समिति ए. एन. एम के साथ जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी लायनेस पदाधिकारीयों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया एवं सभी के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण हेतू पौधारोपण भी किया गया। 10 पौधे लगाये गये। आज का कार्यक्रम चेयरपरसन लायनेस हेमा टोण्डरजी के द्वारा आयोजित किया गया था। श्रोता समुह से हेपाटाइटिस से सम्भंधित प्रश्न पुछे गये। प्रथम, द्वितीय,एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया गया।

रायगढ़ स्टेशन में संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन

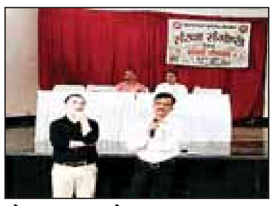

न्याय साक्षी/रायगढ़। मंडल संरक्षा विभाग द्वारा संरक्षा कोटि के कर्मचारियों में सजगता एवं संरक्षा के साथ कार्य करने के प्रति जागरूकता लाने हेतु रायगढ़ स्टेशन में आज सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी रवि नेवाले, सहायक मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता रायगढ़ मोहित राजपूत, सहायक मंडल अभियंता रायगढ़ शशांक कुलश्रेष्ठ एवं संरक्षा सलाहकारों की उपस्थिति में संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में स्टेशन मास्टर, चालक, परिचालक, गार्ड, फिटर, एसएसई, जेई, डीटीआई, पाइंटमैन, गेटमैन सहित 120 रेल कर्मचारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी में सिग्नल एवं पाइंट्स खराब होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य, शंटिंग के दौरान तथा पाइंट इन आउट के समय पाइंट को क्लेम्प एवं पैडलाक करना, ट्रेन स्टाफ एवं ट्रेन पासिंग स्टाफ के मध्य सिग्नल का आदान प्रदान करना, शंटिंग के दौरान ली जाने वाली सावधानियां, गेटमेन का कर्त्तव्य, हाट एक्सल, फ्लैट टायर एवं डोर की सुरक्षा का अवलोकन, ओएचई ब्लाक के दौरान ली जाने वाली सावधानियां, रेल फ्रेक्चर की स्थिति में ट्रैक की सुरक्षा, सिग्नल की खराबी एवं रखरखाव के समय बरतने वाली सावधानियों, लोडिंग अनलोडिंग पाइंट्स पर वैगन के दरवाजों का सही ढंग से बंद होना सुनिश्चित करना, ब्लाक सेक्शन में गाडी के स्टाल होने पर ड्राइवर का कर्तव्य, नान.सिग्नलिंग में गाडी चलाने के दौरान चालक एवं सहायक चालकों का कर्तव्य, आपदा प्रबंधन एवं एपीएडी से बचाव के तरीके जैसे अनेक गहन मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही संरक्षा संबंधी अद्यतन जानकारी प्रसारित करने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303   E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य बिन्दु

पीड़ित संपर्क करें

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480